न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 433/2022

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. बीरबल राम दत्तक पुत्र लूम्बाराम विश्नोई निवासी– नोखडा चारणान, तहसील आउ जिला जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आउ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक प्र0ग0सं0/राजस्व/2021/08 दिनांक 21.10.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई, अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राज. अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28 अक्टूबर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार आउ के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को ग्राम आउ के विभिन्न खसरान की रकबा भूमि में जिसमें खसरा संख्या 71, 70/2 व 79 भी अंकित थे में से चल रहे कदीमी रास्ते जो आमजन के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात तहसीलदार आउ की अनुशंषा अनुसार आलौच्य आदेश जारी कर उक्त खसरा नम्बरान की रकबा भूमि में से हिस्सा भूमि को गैर मुमकीन रास्ता परिवर्तन करने व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम आउ में पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारों/सहखातेदारों को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तथा सूचना बाबत नोटिस जारी किये बिना ही रेस्पो0 तहसीलदार आउ के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारान के प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिंक सिद्धान्तों के विपरित आदेश पारित किया गया है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की मूल खसरा सं0 79 वर्तमान ख0 सं0 517/79 का रेकर्डेड सहखातेदार है। अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारों को अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने से पूर्व सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया व न ही कदीमी रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने हेतु कोई [illegible] और ख0सं0 79 व 95 में रास्ता का आदेश पारित कर दिया। मौके

136 में कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। किसी खातेदारी भूमि में से रास्ते का आदेश केवल धारा 251—ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत कैम्प में केवल मात्र आपसी सहमति वाले राजीनामे वाले प्रकरणों का पक्षकारों को सुनकर निस्तारण किया जा सकता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से जो रास्ता घोषित किया गया है, वहॉ कोई रास्ता नहीं है। रास्ता और कहीं संचालित है। न्यायालय हाजा की ओर से तहसीलदार आउ से तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार जहॉ रास्ता चलता है, वहॉ रास्ता घोषित किया जाता है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आलौच्य प्रकरण में अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आउ के ख0सं0 95 व 79 में से कदीमी रास्ते का अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जबकि अपीलार्थी की कोई सहमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य होने से निरस्त किया जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से जो रास्ता घोषित किया गया है, वहॉ कोई रास्ता नहीं है। रास्ता और कहीं संचालित है। न्यायालय हाजा की ओर से तहसीलदार आउ से तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार जहॉ रास्ता चलता है, वहॉ रास्ता घोषित किया जाता है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त खसरान रकबा भूमि में से संचालित कदीमी रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

दौरान सुनवाई प्रार्थीगण अनोपाराम पुत्र भाखरराम, उदाराम पुत्र सांवताराम, कमला पत्नी भगवानाराम, केसू पत्नी उदाराम, किसना पुत्र जोधाराम, गणपतराम पुत्र जोधाराम, गोरधनराम पुत्र भाखरराम, भगवानाराम पुत्र उदाराम, भंवरलाल पुत्र जोधाराम, मेमराज पुत्र जोधाराम, मानाराम पुत्र जोधाराम, श्यामसुन्दर पुत्र भाखरराम, हीरालाल पुत्र जोधाराम, सभी जातियान—बिश्नोई, निवासी—नोखडा चारणान, तहसील घंटियाली जोधपुर की ओर अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते अपील में पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त पेश अपील में प्रार्थीगण भी हितबद्ध पक्षकार है और अपना पक्ष रखना चाहते है, प्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 513/95 रकबा 46.1483 हैक्टर के खातेदार है। अगर प्रार्थीगण को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका आकलन लगाया जाना सम्भव नहीं होगा अतः सुनवाई का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थीगण के उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने का उल्लेख अवश्य किया गया है परन्तु प्रार्थना पत्र के साथ ऐसे कोई अधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह प्रतीत होता हो कि वे प्रभावित पक्षकार है और उन्हें अपील में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक हो। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र अपील में बहस सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा की ओर से तहसीलदार आउ से वादग्रस्त खसरान भूमि की मौके रिपोर्ट तलब की गई जो जरिये पत्रांक 1141 दिनांक 15.09.2022 को प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया गया। तत्पश्चात हमने पक्षकारान के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपील प्रकरण में तहसीलदार, आउ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर चलायमान कदीमी रास्ता पूर्व में घोषित रास्ते से अलग स्थान पर है। अतः अपीलान्ट की अपील सुखाचार व जनहित के मन्तव्य से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के क्रम में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, आउ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार जहॉ पर कदीमी रास्ता अवस्थित है वहॉ पर रास्ता घोषित किये जाने बाबत संशोधित आदेश जारी किया जावें। निर्णय आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर